राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी संख्या – 1261 / 2016 / झालावाड़.

श्रीमती दुर्गीबाई पत्नी श्री मोहनलाल निवासी ज्योतिनगर,
कॉलोनी कस्बा रायपुर तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़. .....प्रार्थिया.

बनाम

1. जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, झालावाड़.
2. श्री गोपाल लाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति मलाल,
   निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक .....प्रार्थिया की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23 / 06 / 2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई पत्नी श्री मोहनलाल निवासी झालावाड़ द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण संख्या 29(बी) / अपील / अभि / 11 / आब / 2016 / 99 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया को वर्ष 2016–17 के लिये देशी मदिरा कम्पोजिट समूह रायपुर की लॉटरी दिनांक 11.03.2016 में सफल आवेदक घोषित होने पर अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया, जिसका आवदेन क्रमांक JLWCL 5341 तथा लॉटरी क्रमांक 113 था। उक्त लॉटरी में श्री गोपाललाल पुत्र श्री मोतीलाल निवासी झालावाड़ प्रथम आरक्षित रहा। तत्पश्चात श्री गोपाललाल के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के समक्ष शिकायत पत्र दिनांक 15.03.2016 को प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 08.08.2015 को थानाधिकारी, बकानी की नाकाबंदी के द्वारा हुंडई कार संख्या आर.जे.17 / सीए–5142 में 30 पेटी देशी शराब बरामद हुई है, जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 198 / 2015 अन्तर्गत धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम दर्ज हुई है। उक्त कार की रजिस्टर्ड स्वामी श्रीमती दुर्गीबाई है तथा इसने रूपये 60,000 / – जमा करवाकर कार को अधिहरण से मुक्त करवाया है। आबकारी अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति ठेका प्राप्त करने हेतु आवेदन के पात्र

लगातार.....2

23/06/16

नहीं हैं। श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा तथ्यों को छिपाकर ठेका प्राप्त किया गया है, जो कि निरस्त किया जाकर, प्रथम आरक्षित आवेदक (शिकायतकर्ता) को ठेका प्रदान किया जावे।

3. उक्त शिकायत के सत्यापन हेतु जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ द्वारा आबकारी निरीक्षक वृत–झालावाड़ को निर्देशित किया गया। आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.03.20106 को जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि दिनांक 08.08.2015 को थाना बकानी द्वारा श्री मोहनलाल पुत्र श्री जड़ाव चन्द जाति कलाल निवासी उम्मेदपुरा व श्री सलमान पुत्र श्री अब्दुल शरीफ निवासी उम्मेदपुरा के कब्जेशुदा हुंडई कार आर.जे.17/सीए–5142 से 576 पव्वे बिना पास–परमिट के जब्त किये गये, जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 198/2015 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम दर्ज की गई, जिसमें दुर्गीबाई पत्नी श्री मोहनलाल का नाम अंकित है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप–पत्र में जब्त वाहन श्रीमती दुर्गीबाई के नाम पंजीकृत होने के कारण आबकारी अधिनियम की धारा 54(ए) के तहत आरोपी बताया गया। आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट में श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा वाहन का बेचान कर दिये जाने के कारण, श्रीमती दुर्गीबाई को प्रकरण में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होना बताया गया। साथ ही दुर्गीबाई के कब्जे से प्रत्यक्ष रूप से कोई बरामदगी नहीं होने एवं पुलिस द्वारा दुर्गीबाई को गिरफ्तार नहीं किये जाने के कारण आबकारी अधिनियम अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स सायक्रोटोपिक सब्सेटेंस एक्ट 1985 के तहत गम्भीर अपराध का दोषी नहीं बताया गया। माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती दुर्गीबाई को सजायाफ्ता घोषित नहीं किया गया है। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त कोटा द्वारा जब्त वाहन के अधिहरण से मुक्ति के लिये निर्धारित जुर्माना राशि रूपये 60,000/– श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा जमा करवाई जाकर वाहन का मुक्त करवाया गया है।

4. आबकारी निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2016 पारित करते हुए शराब के अवैध परिवहन में जब्त वाहन प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई का होने तथा वाहन/माल के साथ पाया गया व्यक्ति श्री मोहनलाल श्रीमती दुर्गीबाई का पति होने के कारण प्रार्थिया द्वारा आवेदन–पत्र में तथ्यों को छिपाया जाना तथा आबकारी अधिनियम के तहत अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने की शर्तों की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित मानते हुए प्रार्थिया का आवेदन–पत्र क्रमांक JLWCL 5341 तथा लॉटरी क्रमांक 113 को निरस्त किया गया एवं प्रार्थिया द्वारा जमा करवाई

लगातार.....3

23/06/16

गई राशि कब्जेराज की गई तथा प्रथम आरक्षित आवेदक श्री गोपाल लाल पुत्र श्री मोतीलाल को सफल उम्मीदवार घोषित करते हुए देशी मदिरा कम्पोजिट समूह रायपुर हेतु राशि जमा कराने के लिये अधिकृत किया गया।

5. जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा आयुक्त, आबकारी, राजस्थान उदयपुर के समक्ष अपील संख्या 11/16 प्रस्तुत की गयी, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 04.04.2016 पारित करते हुए प्रार्थिया को अनुज्ञा–पत्र की शर्तों की अवहेलना का दोषी माना गया तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निरस्त किये गये आवेदन–पत्र की पुष्टि करते हुए प्रार्थिया की अपील अस्वीकार की गयी। प्रार्थिया द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5353/2016 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 23.05.2016 पारित करते हुए प्रार्थिया को राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष आबकारी अधिनियम की धारा 9(ए)(3) के तहत आदेश दिनांक से तीन दिवस में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कर बोर्ड को भी निर्देशित किया गया कि निगरानी प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में निगरानी का निस्तारण किया जावे। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में प्रार्थिया द्वारा यह अपील दिनांक 08.06.2016 को कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण की अत्यावश्यकता को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण की शीघ्र सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

6. बहस के दौरान प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में जिस वाहन (हुंडई आई–10 कार आर.जे.17/सीए–5142) को अवैध शराब के परिवहन में जब्त किया गया है, वह वाहन दिनांक 07.08.2015 को श्री मोहनलाल पुत्र श्री जड़ावचन्द निवासी उम्मेदपुरा को जरिये इकरारनामा बेचान कर दी गयी थी तथा इसके परिवहन विभाग में पंजीयन नामान्तरण हेतु फॉर्म संख्या 29 व 30 भी हस्ताक्षर कर क्रेता को दे दिये गये थे। वाहन को जब्त किये जाने के तुरन्त पश्चात थानाधिकारी बकानी को उक्त इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत कर दी गयी, जिसके आधार पर थानाधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दर्ज एफ.आई.आर. में श्रीमती दुर्गीबाई के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हुए वाहन के साथ पाये गये श्री मोहन लाल एवं श्री सलमान को ही पक्षकार बनाया गया। वाहन का नामान्तरणकरण क्रेता के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थिया द्वारा वाहन के अधिहरण से मुक्ति की एवज में अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी द्वारा निर्धारित की गयी जुर्माना राशि जरिये

लगातार.....4

23/06/16

चालान सद्भाविक रूप से जमा करवाई गई है, जिसके लिये प्रार्थिया को दण्डित नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि शिकायतकर्ता श्री गोपाल लाल स्वयं अपराधिक मामलों में माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, खानपुर (राज) द्वारा क्रीमिनल प्रकरण संख्या 406/95, 408/95 व 409/95 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.1999 में दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है। अतः शिकायतकर्ता स्वयं मदिरा समूह की दुकान के लिये आवेदन करने हेतु अपात्र हो जाता है। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए शिकायतकर्ता को प्रथम आरक्षित के रूप में दुकान का आवंटन किया जाना गम्भीर त्रुटि है।

7. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में प्रार्थिया द्वारा विवादित वाहन संख्या आर.जे.17/सीए–5142 के बेचान का इकरारनामा एवं शिकायतकर्ता श्री गोपाल लाल के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, खानपुर (राज) द्वारा क्रीमिनल प्रकरण संख्या 406/95, 408/95 व 409/95 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.1999 की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए, जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेशों को अपास्त करते हुए, प्रार्थिया के अनुज्ञा–पत्र को पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया।

8. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी आयुक्त के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रकरण में विवादित वाहन संख्या आर.जे.17/सीए–5142 के बेचान का इकरारनामा दिनांक 07.08.2015 को निष्पादित किया गया है। उक्त इकरारनामा के द्वारा प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा अपने पति श्री मोहनलाल कलाल (पारेता) को ही वाहन का विक्रय किया जाना बताया गया है। उक्त वाहन की अवैध शराब परिवहन करते हुए चैकिंग दिनांक 08.08.2015 को की गयी है। इससे स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती सोच के तहत वाहन का बेचाननामा इकरारनामा तैयार किया गया है, ताकि प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई को विधिक प्रक्रियाओं से बचाया जा सके। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि उक्त वाहन का परिवहन विभाग में नामान्तरण भी नहीं हुआ था तथा वाहन को अधिहरण से मुक्ति के लिये अतिरिक्त आयुक्त आबकारी द्वारा रूपये 60,000/– जुर्माना राशि निर्धारित की गयी, जो प्रार्थिया द्वारा जरिये चालान जमा करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित वाहन की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थिया की थी, जो कि अवैध शराब के परिवहन में संलिप्त पायी गयी एवं आबकारी विभाग

23/06/16

लगातार.....5

द्वारा इस पर जुर्माना भी किया गया है, जो प्रार्थिया द्वारा अदा किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों का प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन–पत्र में अंकन नहीं किये जाने से प्रार्थिया के स्तर पर तथ्यों को छिपाया जाना प्रमाणित होता है। अतः जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थिया का आवेदन–पत्र एवं अनुज्ञा–पत्र निरस्त किये जाने में एवं आयुक्त आबकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा पिड़ावा–रायपुर के लिये वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा समूह हेतु आवेदन–पत्र क्रमांक JLWCL5341 दिनांक 02.03.2016 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आवेदन–पत्र की घोषणा के रूप में निम्न अंकन करते हुए अपने हस्ताक्षर किये गये हैं :–

"मैं उपरोक्त उल्लेखित आवेदक घोषणा करता हूं कि

1. **ऊपर दर्ज की गई सूचनाएं पूरी तरह से सही हैं।**
2. **मैं आबकारी विभाग का बाकीदार नहीं हूं तथा अनुज्ञापत्र धारण करने के लिए किसी प्रकार अयोग्य नहीं हूं।**
3. **मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अंतर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्र की शर्तों के अंतर्गत दोषी घोषित नहीं किया गया हूं।**
4. **मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अंतर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्रों की शर्तों व समय–समय पर जारी की जा सकने वाले विभागीय निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। मेरे द्वारा इसमें से किसी का उल्लंघन करने पर आवेदन की स्वीकृति/ अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा, मुझे इस बात की जानकारी है।**
5. **आवेदन की स्वीकृति जारी करने की स्थिति में मैं आवेदन पत्र के साथ विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत विवरण अनुसार निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस आदि की राशि जमा करा दुंगा।**
6. **मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाने पर मेरा आवेदन पत्र / अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।**

(दुर्गीबाई)

आवेदक के हस्ताक्षर"

23/06/16

लगातार.....6

11. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि थानाधिकारी, बकानी द्वारा दिनांक 08.08.2015 को नाकाबंदी के दौरान वाहन (कार) हुंडई आई—10 संख्या आर.जे. 17/सीए—5142 को चैक किया गया, जिसमें 12 गत्ते पेटी में 576 देशी पव्वे पाये गये, जिनका पास—परमिट नहीं पाया गया। अर्थात् उक्त माल अवैध शराब की श्रेणी का था, जिसके परिवहन के लिये थानाधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत प्रकरण संख्या 198/15 दर्ज किया जाकर वाहन को कब्जेराज लिया गया। उक्त वाहन प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई के नाम रजिस्टर्ड था। अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन—कोटा द्वारा उक्त वाहन के अधिहरण से मुक्ति के लिये रूपये 60,000/— जुर्माना राशि निर्धारित की गयी, जो कि श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा जरिये चालान 21.09.2015 को जमा करवाई गई है। इससे यह प्रमाणित है कि वक्त जांच जिस वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, वह दुर्गीबाई का था, जिसकी समस्त जिम्मेदारी दुर्गीबाई की थी। किसी भी वाहन के बेचान के पश्चात क्रेता को वाहन की सुपुर्दगी परिवहन विभाग में पंजीयन के पश्चात ही होती है। परिवहन विभाग में पंजीयन से पूर्व समस्त जिम्मेदारी रजिस्टर्ड वाहन स्वामी की है, जिससे वह विमुख नहीं हो सकता।

12. हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा वाहन के बेचान का इकरारनामा दिनांक 07.08.2015 को निष्पादित करना बताया गया है, तथा बेचान भी स्वयं के पति श्री मोहनलाल पारेता पुत्र श्री जड़ावचन्द को रूपये पाँच लाख में किया जाना बताया गया है। उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रार्थिया की बाद की सोच को इंगित करता है। प्रार्थिया एवं उसके पति द्वारा, प्रार्थिया को विधिक प्रक्रियाओं से बचाने हेतु वाहन का इकरारनामा तैयार किया जाना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी की वाद पत्रावली में वाहन के बेचान से सम्बन्धित फॉर्म 29 व 30 उपलब्ध हैं, जो पूर्णतया रिक्त हैं, केवल वाहन संख्या एवं श्रीमती दुर्गीबाई के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण अंकित नहीं है। परिवहन विभाग में वाहन का पंजीयन श्री मोहनलाल के पक्ष में हस्तान्तरित होने सम्बन्धी साक्ष्य भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यही निष्कर्ष निकलता है कि शराब के अवैध परिवहन में लिप्त वाहन प्रार्थिया का है, जिसकी वैध/अवैध समस्त जिम्मेदारी प्रार्थिया की है।

13. प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा देशी मदिरा समूह के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र दिनांक 02.03.2016 में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गयी है कि वह राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत दोषी घोषित नहीं की गयी है तथा गलत घोषणा पाये जाने पर मेरा आवेदन—पत्र/अनुज्ञापत्र निरस्त किया

23/06/16

लगातार.....7

जा सकेगा। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन–कोटा के आदेश क्रमांक प./आब./अभि./जो.को./15/1350–53 दिनांक 21.09.2015 के द्वारा प्रार्थिया श्रीमती दुर्गीबाई के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए जुर्माना राशि रूपये 60,000/– निर्धारित की गयी है, जो श्रीमती दुर्गीबाई द्वारा ही जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा आवेदन–पत्र में तथ्य छिपाया जाना एवं गलत घोषणा किया जाना स्वतः प्रमाणित है, जिसके लिये प्रार्थिया का आवेदन–पत्र एवं अनुज्ञापत्र निरस्तनीय है।

14. इसी सन्दर्भ में आबकारी अधिनियम की धारा 34, धारा 54-A एवं नियम 76 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

Sec. 34. Power to cancel and suspend licences.-

(1) Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the authority granting any licence, permit or pass under this Act may cancel or suspend it-

(a) if it is transferred or sublet by the holder thereof without the permission of the said authority; or

(b) if any duty or fee payable by the holder thereof be not duly paid; or

(c) in the event of any breach by the holder of such Licence, permit or pass or by his servants, or by anyone acting on his behalf with his express or implied permission of any of the terms or conditions of such licence, permit or pass; or

(d) if the holder thereof is convicted of any offence punishable under this Act or any, other law for the time being in force relating to revenue or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the Dangerous Drugs Act, 1930 (Central Act 2 of 1930) Now Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any law relating to merchandise marks or of any offence punishable under Sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code; or

(e) where a licence, permit or pass has been granted on the application of the grantee of an exclusive privilege under this Act, on the requisition in writing of such grantee; or

(f) if the conditions of the licence, permit or pass provide for such cancellation or suspension at will.

लगातार.....8

23/06/16

(2) When a licence, permit or pass held by any person is cancelled under Sub-section (1), the authority aforesaid may cancel any other licence, permit or pass granted to such person under this Act or any other law for the time being in force relating to excise, revenue or under The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

(3) The holder of a licence, permit or pass shall not be entitled to any compensation for the cancellation or suspension thereof under this section nor to a refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

Sec. 54-A. Owner of animal, cart, vessel, raft, motor vehicle or any other means of conveyance deemed to be guilty in certain cases.-

Where any animal, cart, vessel, raft, motor vehicle or any other means of conveyance is used in the commission of an offence under this Act, and is liable to confiscation, the owner thereof, except in case of a motor vehicle or other means of conveyance being owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, shall be deemed to be guilty of such offence and such owner shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he satisfies the Court that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence.

Rule 76. Cancellation, modification and suspension of licences -

The authority granting a licence under these rules may cancel, suspend or modify the licence -

(a) to rectify clerical mistakes;

(b) If the licence has been obtained by fraud, or

(c) if the licensee has been guilty of the violation of a condition of his licence or the contravention of the provision of the Act or any notification order or rule issued under the Act.

15. उक्त प्रावधानानुसार कोई वाहन अवैध शराब के परिवहन में प्रयोग में लिये जाने की स्थिति में उक्त धारा 54–ए के प्रावधानानुसार वाहन स्वामी ऐसे अपराध के लिये दोषी माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध दण्ड देने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। वाहन स्वामी को न्यायालय में इस अपराध के सम्बन्ध में अपना बचाव प्रस्तुत करना होता है।

23/06/16

लगातार.....9

16. वर्ष 2016–17 में आबकारी बंदोबस्त में देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों का बिन्दु संख्या 1(i)(घ) निम्न प्रकार है :–

1. पात्रता

(प) देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगे :–

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो,

16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट 01 मैरी बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य** में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

18. We have given our most anxious consideration to the submission advanced and we do not find any substance in the submission of the learned counsel for the appellant and the decision relied on by her, in fact, carves out an exception in case of a commercial transaction. The duty to act fairly is sought to be imported into the statutory contract to avoid forfeiture of the bid amount. The doctrine of fairness is nothing but a duty to act fairly and reasonably. It is a doctrine developed in the administrative law field to ensure rule of law and to prevent failure of justice where an action is administrative in nature. Where the function is quasi-judicial, the doctrine of fairness is evolved to ensure fair action. But, in our opinion, it certainly cannot be invoked to amend, alter, or vary an express term of the contract between the parties. This is so even if the contract is governed by a statutory provision i.e. where it is a statutory contract. It is one thing to say that a statutory contract or for that matter, every contract must be construed reasonably, having regard to its language. But to strike down the terms of a statutory contract on the ground of unfairness is entirely different. Viewed from this angle, we are of the opinion that Rule 5(15) of the Rules cannot be struck down on the ground urged by the appellant and a statutory contract cannot be varied, added or altered by importing the doctrine of fairness. In a contract of the present nature, the licensee takes a calculated risk. Maybe the appellant was not wise enough but in law, she can 24 Page 25 not be relieved of the obligations undertaken by her under the contract. Issac Peter (supra) supports this view and says so eloquently in the following words:

23/06/16

लगातार.....10

"26.....In short, the duty to act fairly is sought to be imported into the contract to modify and alter its terms and to create an obligation upon the State which is not there in the contract. We must confess, we are not aware of any such doctrine of fairness or reasonableness. Nor could the learned counsel bring to our notice any decision laying down such a proposition. Doctrine of fairness or the duty to act fairly and reasonably is a doctrine developed in the administrative law field to ensure the rule of law and to prevent failure of justice where the action is administrative in nature. Just as principles of natural justice ensure fair decision where the function is quasi-judicial, the doctrine of fairness is evolved to ensure fair action where the function is administrative. But it can certainly not be invoked to amend, alter or vary the express terms of the contract between the parties. This is so, even if the contract is governed by statutory provisions, i.e., where it is a statutory contract — or rather more so. It is one thing to say that a contract — every contract — must be construed reasonably having regard to its language..."

19. Now, referring to the decision of this Court in the case of Brojo Nath Ganguly (supra), the same related to terms and conditions of service and the decision in the said case has been approved by this Court in the case of D.T.C. Mazdoor Congress (supra). But while doing so, the Constitution Bench explicitly observed in unequivocal terms that doctrine of reasonableness or fairness cannot apply in a commercial transaction. It is not possible for us to equate a contract of employment with a contract to vend arrack. A contract of employment and a mercantile transaction stand on a different footing. It makes no difference when the contract to vend arrack is between an individual and the State. This would be evident from the following text from the judgment:

"286. .....This principle, however, will not apply where the bargaining power of the contracting parties is equal or almost equal or where both parties are businessmen and the contract is a commercial transaction."

(underlining ours)

20. Accordingly, we are of the opinion that in a contract under the Abkari Act and the Rules made thereunder, the licensee undertakes to abide by the terms and conditions of the Act and the Rules made thereunder which are statutory and in such a situation, the licensee cannot invoke the doctrine of fairness or reasonableness. Hence, we negative the contention of the appellant.

23/06/16

लगातार.....11

16. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया का आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है। इसी प्रकार देशी मदिरा समूह की दुकान के लिये किये गये आवेदन–पत्र में की गयी घोषणा भी मिथ्या प्रमाणित होती है। ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 54–ए के अपराध में धारा 34 सपठित राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 76 के तहत अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त करने की अधिकारिता रखता है। अतः जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थिया का आवेदन–पत्र एवं अनुज्ञापत्र निरस्त करते हुए आवेदन–पत्र के साथ जमा करवाई गई राशि को राजसात किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलाधीन आदेश से जिला आबकारी अधिकारी का आदेश यथावत रखे जाने में भी किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

17. उपरोक्त तथ्यों के समग्र अवलोकन के पश्चात प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक के तर्क बलहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं।

18. परिणामस्वरूप प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 04.04.2016 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।

23/06/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य

23/06/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य